

GUIDELINES FOR ZOO VISITORS

- i. Visitor shall come to Zoo only when they do not have cough, cold and fever symptom and have been vaccinated for COVID-19.
- ii. Children below 10 years of age & adults above 60 years age are requested to avoid visiting the Zoo.
- iii. All visitors shall compulsorily wear facemasks while entering the Zoo premises.
- iv. All visitors shall compulsorily pass over the medicated foot mat at the entrance.
- v. Visitor shall undergo body temperature scanning while entering Zoo premises.
- vi. All visitors shall maintain social distance while in Zoo premises.
- vii. Ensure that social distancing is maintained while using visitor facilities (washroom, water points, souvenir shops, battery operated vehicles, Nature Education centre, library etc).
- viii. Ensure that there is minimal interaction with Zoo staff and even if it is required ensure social distance of minimum of 3 feet
- ix. Avoid touching barricades and other surfaces so as to minimize chances of spread and contamination.
- x. Movement should only be along designated visitor path only and avoid diversion.
- xi. Visitors shall avoid carrying luggage, which needs locker room facility, as it is likely lead more interaction with other persons.
- xii. Visitors shall avoid spitting here and there in Zoo premises.
- xiii. Shall not chew pan masala, gutka and khaini and spit in Zoo premises.
- xiv. Ensure that members of one family occupy all seats leaving a seat behind driver vacant or only two visitors per row of seats incase visitors are from different family or area.
- xv. All visitors shall be under the security surveillance and any violators of above guidelines shall be imposed penalty up to Rs.1000/- per head.

*****X*****

चिड़ियाघर के आगंतुकों के लिए दिशानिर्देश

- 1) आगंतुक चिड़ियाघर में तभी आएंगे जब उनमें खांसी, जुकाम और बुखार के लक्षण न हों और उन्हें COVID-19 का टीका लगा लिया हो ।
- 2) 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों और 60 वर्ष से अधिक आयु के वयस्कों से अनुरोध है कि वे चिड़ियाघर में आने से बचें।
- 3) चिड़ियाघर परिसर में प्रवेश करते समय सभी आगंतुकों को अनिवार्य रूप से फेसमास्क (मुखावरण) पहनना होगा।
- 4) चिड़ियाघर परिसर में प्रवेश करते समय सभी आगंतुक अनिवार्य रूप से प्रवेश द्वार पर औषधीय फुट मैट के ऊपर से गुजरेंगे।
- 5) चिड़ियाघर परिसर में प्रवेश करते समय आगंतुकों का शरीर के तापमान की स्कैनिंग की जाएगी।
- 6) चिड़ियाघर परिसर में प्रवेश करने उपरांत सभी आगंतुक परिसर में सामाजिक दूरी बनाए रखेंगे।
- 7) चिड़ियाघर परिसर में प्रवेश करने उपरांत सुनिश्चित करें कि आगंतुक सुविधाओं (वाशरूम, पानी के कियोस्क, स्मारिका की दुकानों, बैटरी से चलने वाले वाहन, प्रकृति शिक्षा केंद्र, पुस्तकालय आदि) का उपयोग करते समय सामाजिक दूरी बनाए रखें।
- 8) चिड़ियाघर परिसर में प्रवेश करने उपरांत सुनिश्चित करें कि चिड़ियाघर के कर्मचारियों के साथ न्यूनतम बातचीत हो और यदि आवश्यक हो तो भी कम से कम 3 फीट की सामाजिक दूरी सुनिश्चित करें।
- 9) बैरिकेड्स और अन्य सतहों को छूने से बचें ताकि संदूषण फैलने की संभावना को कम किया जा सके।
- 10) आवाजाही केवल निर्दिष्ट आगंतुक पथ के साथ ही होनी चाहिए और मोड़ से बचना चाहिए।
- 11) आगंतुक सामान ले जाने से बचें, जिसके लिए लॉकर रूम की सुविधा की आवश्यकता होती है।
- 12) चिड़ियाघर परिसर में प्रवेश करने उपरांत आगंतुक परिसर में इधर-उधर थूकने से परहेज करें।
- 13) आगंतुक चिड़ियाघर परिसर में पान मसाला, गुटखा और खैनी चबाकर नहीं थूकेंगे।
- 14) गोल्फ कार्ट में यह सुनिश्चित करें कि एक परिवार के सदस्य केवल सभी सीटों पर बैठें और ड्राइवर के पीछे एक सीट खाली हो या यदि आगंतुक अलग-अलग परिवार से हों तो प्रति पंक्ति में केवल दो आगंतुक हों।
- 15) सभी आगंतुकों को सुरक्षा निगरानी में रखा जाएगा और उपरोक्त दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर प्रति व्यक्ति 1000/- रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

*****X*****